भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1016
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

<u>ऑनलाइन कैब कंपनियों के विरूद्ध शिकायत</u>

1016. श्री जगदम्बिका पाल :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/भारतीय स्पर्धा आयोग को अनुचित कार्यों में लिप्त ऑनलाइन कैब कंपनियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और
(ग) सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों जो इंटरनेट के माध्यम से संचालित होती हैं के लिए एक विनियामक तंत्र स्थापित करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) और (ख): प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए प्रभावशाली स्थिति के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए ऑनलाइन कैब कंपनियों के विरूद्ध 5 मामलों में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में जांच जारी है/विचाराधीन है।

(ग): उपभोक्ता मामले विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****